बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 370550 पटना, दिनांक 21/05/18

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(जिला पृच्छा)-102-58/2017

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,

नालन्दा ।

विषय :- **माता एवं पिता के मृत्यु के पश्चात उनके वास्तविक उत्तराधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ देने के संबंध में ।**

प्रसंग :- आपका पत्रांक-883 दिनांक-07.05.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा श्री सिद्धेश्वर सिंह, ग्राम-छतरपुर, पोस्ट+थाना-परबलपुर, जिला-नालन्दा के माता-पिता के मृत्यु हो जाने के पश्चात पाँच भाईयों में से एक भाई श्री रामस्वारर्थ सिंह जो विकलांग हैं का नाम SECC 2011 की सूची में दर्ज रहने के संबंध में विभाग को सूचित करते हुए विभाग से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ देने के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है ।

विदित है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सामान्य पृच्छा बिन्दु जो विभागीय पत्रांक-27 दिनांक-24.10.17 (प्रति संलग्न) से जारी किये गये हैं की कंडिका-2 में स्पष्ट किया गया है कि लाभुक (घर का मुखिया) पति तथा पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने पर परिवार के आश्रित सदस्य जिनका नाम SECC 2011 Database में हैं उन्हें आवास का लाभ दिया जा सकता है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित पत्र में निर्धारित प्रावधानों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 370550 पटना, दिनांक 21/05/18

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2199.doc